



KHAN GLOBAL STUDIES

The Most Trusted Learning Platform

SSC GD FOUNDATION 2024 -25

Bilingual



PRABHU SIR

प्रस्तावना- । आभुव / उद्देशिका

Preamble-

संविधान सभा के सदस्यों का उच्च आदर्श, संविधान का उद्देश्य और भूमिका शासन व्यवस्था और शासन का जनता से संबन्ध निहित है।

The high ideals of the members of the Constituent Assembly, the purpose and role of the Constitution lies in the governance system and the relationship of governance with the people.

"प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है"।

- N. A. पालकीवाला

"The Preamble is the identity of Constitution". - N. A. Palkhiwala

प्रस्तावना हमारे सपनों का दिर्घकालिक विचार है-

-अल्लादी कृष्ण अय्यर

Preamble, The long-term idea of our dreams is-' -Alladi Krishna Iyer

प्रस्तावना - Preamble.

↳ संविधान-सभा की प्रथम बैठक 9 Dec 1946 → President
↓
सचिवान-रसिहा

↳ 2nd Setting Constituent Ass.

दूसरी बैठक

↳ 11 Dec 1946

Old man

↳ Permanent President (÷ Starke)
↳ Vice President - MC Mohan Rao YSR

Mr. Setting. ÷

13 Dec 1946



Objective Bill



उद्देश्य विधेयक



पं. J.L. नेहरू



उद्देशिका
या
प्रस्तावना
Preamble



22. 11. 1947

भारत गौरव के लिए

Constituent Ass.
संविधान सभा

• 13 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा के तीसरे बैठक में पंडित जवाहर लाल नेहरू के द्वारा प्रथम प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया।

• प्रस्तावना के विचार को अमेरिका (USA) से लिया गया है।
↳ UNO का चार्टर एक्ट.

• प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।

• The first proposal was presented by Pandit Jawahar Lal Nehru in the third meeting of the Constituent Assembly on 13 December 1946 in the form of an objective proposal, which was unanimously accepted by the Constituent Assembly on 22 January 1947.

• The idea of the PREAMBLE has been taken from America.(USA)

• The language of the PREAMBLE is taken from Australia.

• प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है।
अर्थात् यह असंशोधनीय है - बेरुवारीवाद

1960 → SC के द्वारा
↓
इक्वैलिटी का मामला केस US संघवाद

The Preamble is not a part of the
Constitution. That is, it is unchangeable -
Beruvarivad 1960

✓ प्रस्तावना संविधान का अंग है। अर्थात्
यह संशोधनीय है - केशवानंद भारती
बनाम केरल 1973

The Preamble is a part of the Constitution.
That is, it is amendable - Kesavananda Bharti
vs. Kerala 1973

अर्जुन कुमार
HC

↓
S.R. बोमबोई US संघवाद ✓
↓
व्यक्ति Person.

↓
(SC)

उच्चतम न्यायालय

- ✓ 42 वा संविधान संशोधन अधिनियम , 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया।

By the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976, 3 words were added to the Preamble.

- PM-इंद्रा गांधी
- | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| ✓ 1. समाजवादी | → न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति | ✓ 1. Socialist | → <u>Basic Needs</u> |
| ✓ 2. पंथनिरपेक्ष | ↓ धर्मनिरपेक्ष → सौटी कपड़ा और | ✓ 2. Secular | |
| ✓ 3. अखंडता | ↓ पंथ → विचार मकाम | ✓ 3. Integrity | → <u>रुकता / अखंडता</u> |
- निरपेक्ष-भेदभाव नहीं। → आर्थिक आधार पर

Note- अब तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है।

आत्मा/हृदय/कुंजी/दर्पण/प्रतिबिम्ब/एक झलक/एक नज़र Soul/Heart/Key/Mirror/Reflection/A glimpse/A glance

✓ प्रस्तावना - यह मूल रूप से भारतीय संविधान की आत्मा है। - गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य 1967
↳ डा. भार्गवदास ↳ SC ने → 11-यापक्षी प्रीति
Preamble – This is basically the soul of the Indian Constitution. - Golak Nath vs State of Punjab 1967

✓ मूल अधिकार - पंडित जवाहर लाल नेहरू के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा है।
अर्ट 32
Fundamental Rights – According to Pandit Jawahar Lal Nehru, it is the soul of the Indian Constitution.

✓ संवैधानिक उपचारों का अधिकार -
अनुच्छेद 32 - भीम राव आंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा है।
Article 32 – According to Bhim Rao Ambedkar, it is the soul of the Indian Constitution.


पार्ट 3 और 4
Part-3 and Part-4 – According to Grenwell Austin is the soul of the Indian Constitution.
✓ भाग 3 और भाग 4 - ग्रेनवेल ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा है।

Count - 25

मूल रूप से भाग (22)

26 जन 1950

भाग - P-A - पश्चात् 1976





KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING

